

56

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

28 NOV 2016
नया रायपुर, दिनांक नवम्बर, 2016

क्रमांक एफ 4-108/सात-1/2012 छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन 1960) की धारा 3 के खण्ड (ज) सहपठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 के खण्ड (34-क) के तहत परिभाषित " एकीकृत उपनगर " के विकास के प्रयोजन हेतु "धारित भूमि" को, छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत छूट प्रदान करने संबंधी प्राप्त आवेदनों पर विचार करने हेतु, उक्त अधिनियम के तहत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4802-एफ-1-4-94-सात-2ए दिनांक 02/12/1994 के पैरा 3 के खण्ड (3) अनुसार गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति के स्थान पर, संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 4-108/सात-1/2012 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के अनुक्रम में निम्नांकित 06 माननीय मंत्रीगणों की मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया जाता है:-

- (1) प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग
- (2) प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग
- (3) प्रभारी मंत्री, वन विभाग
- (4) प्रभारी मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग
- (5) प्रभारी मंत्री, ग्रामीण उद्योग विभाग
- (6) प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग

राजस्व विभाग का प्रभारी सचिव, समिति का सचिव होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

32.
(पी.निहालानी)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
(राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

28 NOV 2016

पृ0कमांक एफ 4-108/सात-1/2012
प्रतिलिपि:-

नया, रायपुर, दिनांक नवम्बर, 2016

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
4. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
5. माननीय मंत्रीगण के विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक, छ.ग.शासन, राजस्व विभाग/कृषि विभाग/वन विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/ग्रामीण उद्योग विभाग /उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, छत्तीसगढ़
6. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, एमिनिटीज ब्लॉक, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. आर्डरबुक

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
(राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नं. भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2016 — कार्तिक 2, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-108/सात-1/2012. — छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) की धारा 3 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4802-एफ-1-4-94-सात-2ए, दिनांक 02-12-1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

पैरा 3 के खण्ड (3) के सरल क्रमांक 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“4. प्रभारी मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग,”

No. F-108/Seven-1/2012.— In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 3 of the Chhattisgarh Ceiling on Agricultural Holding Act, 1960 (No. 20 of 1960), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 4802-F-1-4-94-Seven-2A, dated 02-12-1994, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

for serial number 4 of clause (3) of para 3, the following shall be substituted, namely :-

“4. Minister-in-charge, Housing and Environment Department,”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.